टोडाभी

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 19 / 19

तारीख रजू– 07.02.2019

पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामप्रताप पुत्र धनजी जाति गूर्जर निवासी नागल सुल्तानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. रामराज पुत्र शिवराम गूर्जर निवासी नागल सुल्तानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. शिवराज पुत्र धनजी गूर्जर निवासी नागल सुल्तानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, नाम दुरूस्ती

**उपस्थिति :– 1. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)**

**2 पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)**

कलेक्टर

निर्णय दिनांक:– 10.02.2020

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय से पेश किया है कि ग्राम नांगल सुल्तान पुर जमाबन्दी ी 2071–74 के खाता संख्या 50 मे वर्णित आराजीयात कुल ख0न0 112 कुल रकबा 31.5700 मे वादी एवं प्रतिवादी न0 2 व 3 हिस्सा 1/30 के, एवं खाता संख्या 52 मे वर्णित आराजीयात किता 12 रकबा 1.52 है0 मे वादी एवं प्रतिवादी न0 2 व 3 हिस्सा 1/30 के खातेदार तथा । संख्या 51 की आराजी ख0न0 52 रकबा 0.09 है0 मे वादी एवं प्रतिवादी न0 2 व 3 हिस्सा 0 के खातेदार तथा के खातेदार काश्तकार है। वादी का वास्तविक नाम रामप्रताप है समस्त वेजात राशनकार्ड, वोटरलिस्टर, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावजो मे वादी का नाम रामप्रताप है। ी के फौत होने पर विरासत के खोले गये नामांतकरण मे वादी का नाम लल्लू अंकित कर दिया र प्रतिवादीगण 2 व 3 का नाम सही दर्ज कर दिया। अतः वादी का राजस्व रिकार्ड मे लल्लू नजी के स्थान पर रामप्रताप पुत्र धनजी नाम दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 पैरोकार र ने जवाब पेश किया कि विरासत के नामांतकरण से वादी का नाम लल्लू दर्ज किया गया है को नामांतकरण की अपील करनी चाहिये, दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी एवं वादी वकील तथा प्रतिवादी न0 2 व 3 जो कि वादी के खास सगे भाई है स्त हुये। वादी एवं वादी वकील ने कथन किया कि वादी का सही नाम रामप्रताप है समस्त जो मे भी रामप्रताप पुत्र धनजी दर्ज है। पिता धनजी की मृत्यु के पश्चात विरासत का करण खोलते समय पटवारी हल्का ने लल्लू पुत्र धनजी नाम दर्ज कर दिया। जिसे लल्लू के पर रामप्रताप दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे। उपस्थित हुये वादी के भाईयो ने भी कथन कि धनजी के 3 पुत्र रामप्रताप, रामराज, शिवराम है लल्लू नाम का और कोई व्यक्ति नही है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

रामप्रताप को बचपन मे लल्लू नाम से भी बोलते थे। रिकार्ड मे रामप्रताप नाम है। लल्लू के स्थान पर रामप्रताप दर्ज किया जावे।

वादी वकील एवं वादी एवं उसके भाईयो के कथन पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। आधार कार्ड न0 7606 4445 0440, राशनकार्ड क्रमांक 200003189154, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र क्रमांक आर.जे./10/087/463139, आदि दस्तावेजो मे रामप्रताप पुत्र धनजी जाति गूर्जर दर्ज है। धनजी की विरासत का नामांतकरण खोलते समय वादी का लल्लू नाम दर्ज कर दिया गया है। दस्तावेजो एवं वादी के भाईयो द्वारा किये गये कथनो के अनुसार लल्लू पुत्र धनजी के स्थान पर रामप्रताप पुत्र धनजी दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम नांगल सुल्तानपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 50, 51, 52 मे वर्णित आराजीयात मे दर्ज लल्लू पुत्र धनजी जाति गूर्जर के स्थान पर रामप्रताप पुत्र धनजी जाति गूर्जर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम निर्णयानुसार पालना करे। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

10/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:36:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: